प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
एटा।

सेवा में,

प्रबन्धक
एस० एन० पब्लिक स्कूल
7 बिकौरा, रोड, किसरपुर जिला: इरलापुर

(44)

पत्रांकः— अ0मा0/ 10085-88 /2007—08 दिनांक 14/2/08

विषयः— प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर की जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 07-02-2008 प्रस्ताव संख्या 10 में लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता शिक्षा सत्र 2007—08 (1जुलाई 2007) से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत सभी निर्धारित शर्तों को पूर्ण करके स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।
2. विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता पाँच वर्ष के लिऐ ही मान्य है।
3. विद्यालय में अवैध कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये।
4. विद्यायल में विभागीय निर्धारित पाठ्य पुस्तके ही पढाई जाये।
5. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों की ही व्यवस्था की जाये।
6. यादि आप द्वारा प्रस्तुत पत्रावली /आवेदन में किसी तथ्य को छिपाया या गलत पाया जाता है। तो प्रदान की गयी मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।
7. विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान करते समय प्रबन्धक श्री ओमप्रकाश सिंह राजपूत पुत्र श्री चिरौंजी लाल हैं।
8. विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान करते समय विद्यालय स्टाफ में श्रीमती अर्चना वर्मा प्र0अ0 एवं 1. श्री एस० सी० त्रिवेदी 2 श्रीमती मेरी थामस 3. श्री जोसेफ पी० के० 4 श्रीमती सुमन राजपूत स0अ0 कार्यरत हैं।

भवदीय

(आर0के0 पण्डित)
जिला बेसिक अधिकारी, एटा।

पृ0सं0अ0मा0/ /2007—08 दिनांक वही

प्रतिलिपिः— निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, एटा।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /~~नगर शिक्षा अधिकारी~~ इरलापुर

जिला बेसिक अधिकारी
एटा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

कासगंज

सेवा में,

प्रबंधक,

एस० एन० पब्लिक स्कूल अमांपुर

वि०क्षे० – अमांपुर

पत्रांकः अ० मा० / 4934-37 / 2013–14 दिनांकः 30-8-14

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31-8-13 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं एस० एन० पब्लिक स्कूल अमांपुर वि०क्षे० – अमांपुर (विद्यालय का नाम, पते सहित) को कक्षा 1 से 5 तक अनंतिम स्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–5 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

   (i)– प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

   (ii)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(iii)—प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv)— प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v)—अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशयतता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi)— अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii)—अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और

(viii)— अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 6000 वर्गफुट

कुल निर्मित क्षेत्र 5000 वर्गफुट

क्रीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या 10

प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष —1

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा हैण्डपम्प

मिड—डे—मिल पकाने के लिए रसोई —1

बाधारहित पहुंच हाँ

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के आधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 4934-37 / 30-8-14 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत है जो समय–समय पर/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संम्बन्धित शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएं।

17. संलग्न उपावंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

(दीवान सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कासगंज

पृ0सं0 अ0मा0/ 4934-37 /2013–14 दिनांक वही

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कासगंज।

2– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज

3– खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर ~~शिक्षा अधिकारी~~......अमांपुर......।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कासगंज

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कांशीराम नगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एस. एन. पब्लिक जूनियर हाईस्कूल,
अमांपुर,
जनपद–कांशीराम नगर।

पत्रांक / मान्यता / 7685-96 /2011–12 दिनांक :– 24-12-2011

विषय :– <u>जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा–6, 7 एवं 8) अस्थाई मान्यता ('ब' श्रेणी) प्रदान करने के सम्बंध में।</u>

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.12.2011 को प्रस्ताव सं0 01 के शासनादेश दिनांक 19.05.2011 में निहित मानकों के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार आपको जूनियर हाईस्कूल तक की अस्थाई ('ब' श्रेणी) मान्यता निम्न प्रतिबन्धो के साथ पत्र निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है।

<u>प्रतिबन्ध</u>

1. शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के निम्न पद अनुमान्य होंगे। प्रधानाध्यापक –एक पद, सहायक अध्यापक – चार पद, लिपिक– एक पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–एक पद।
2. प्रबन्धकारिणी को विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
3. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तको का उपयोग किया जायेगा।
4. विभाग के नियम / निर्देशों का पालन संस्थाधिकारियों को करना होगा।
5. विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन सम्बन्धी वही सुविधायें प्राप्त होगी जो परिषदीय शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रही हैं तथा कर्मचारियों को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
6. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।
7. शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिन शिक्षण कक्षों की माप मानक से कम है उनमें नियमानुसार छात्र संख्या निर्धारित कर दी जाये।
8. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी में होगा तथा हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।
9. शासकीय / विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण / समाप्ति का अधिकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।
10. प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में कोई अभिलेख कूटरचित / असत्य पाया जाने, निरीक्षण के समय कोई अन्य भवन दिखाया गया हो तथा विद्यालय का वास्तविक भवन दूसरा पाये जाने की स्थिति में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन न करने की दशा में यह मान्यता पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रबन्धक का होगा।

24/12/2011
(रघुवीर सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कांशीराम नगर।

पृ0सं0 / मान्यता / 7685–96 /2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक[redacted] अलीगढ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, अलीगढ़।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कांशीराम नगर।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, एटा / कांशीराम नगर।
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, कांशीराम नगर।
7. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, कांशीराम नगर।
8. कार्यालय पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कांशीराम नगर

Scanned with OKEN Scanner